न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2022/80

1– करतार सिंह उर्फ कतर सिंह पुत्र संता सिंह निवासी वीपीओ चुगेकलां, तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।

2– प्रकाश कौर उर्फ नसीब कौर पुत्री श्री संता सिंह पत्नी श्री काला सिंह निवासी हिरनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. नायब सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2– हेतराम
3– मुखराम
पिसरान हुकमाराम जाति जाट निवासीगण हिरनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4– पेमाराम पुत्र गणपतराम जाति बावरी निवासी हिरनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5– गुरतेज सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6– साहब सिंह
7– जगतार सिंह
पिसरान बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8– राजकुमारी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9– अमरू पुत्र बस्तीराम (अविहित) जाति जाट निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ राज.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10– विनोद कुमार
11– कृष्णलाल
12– उर्मी
13– सूची
14– विमला

पिसरान आत्माराम पुत्र स्व0 प्रेमसुख पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति जाट निवासीगण लीलांवाली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

15– बादूदेवी पुत्री स्व0 प्रेमसुख जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

16– अनिल कुमार
17– अनिरूद्ध सिंह

पिसरान भीमराज पुत्र स्व0 श्री प्रेमसुख पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति जाट निवासीगण लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18– तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ़; तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

श्री अजय कुमार बिश्नोई एवं प्रदीप सिंह थांदल अधिवक्ता——अपीलाण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), हनुमानगढ़ राजस्व वाद संख्या–178/2015 शीर्षक ''नायब सिंह बनाम हेतराम आदि''

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

:: **निर्णय** :: **दिनांक** : 13.7.23

1. अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), हनुमानगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील से सम्बन्धित सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम चक 25 एम.एम.के. के पत्थर नंबर 90/210 (68) किला नंबर 19, 20, 21, 22, 23, पत्थर नंबर 90/211 (81) किला नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1 ता 4 व 6 ता 25 कुल 7.084 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 को विभाजनानुसार पत्थर नंबर 90/210 (68) किला नंबर 19, 23, पत्थर नंबर 90/211 (81) किला नंबर 11, 14, 15, 16 से 25 कुल 3.795 हैक्टेयर भूमि कई अर्सा पूर्व उक्त कृषि भूमि अच्छी मंदी के हिसाब से घरेलू बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादी को 2 बीघा कृषि भूमि खरीद शुदा है एवं शेष रकबा में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के साथ बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी को घरेलू बंटवारा के अनुसार पत्थर नंबर 90/210 (68) किला नंबर 19, 23, पत्थर नंबर 90/211 (81) किला नंबर 11, 14, 15, 16, 17 में 7 बिस्वा प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1व 2 व 10, 11, 12 ने अपने हक व हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया है किन्तु खाता में वादी एवं शेष प्रतिवादीगण के साथ नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त रकबा को अन्यत्र रहन, बैय एवं मुन्तकिल कर वादी को कब्जा से बेदखल करने की फिराक में है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध मकसद में कामयाब हो गए तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नहीं आंकी जा सकती है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करवाने का अधिकारी है कि वादी हक हकूक एवं कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से व रकबा अन्यत्र रहन, बैय करने से ममनू व बाज रहे। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 10, 11, 12 ने अपने हक व हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया है किन्तु खाता में वादी एवं शेष प्रतिवादीगण के साथ नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रतिवादीगण का नाम वादी एवं शेष प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता चक 25 एम.एम.के. के खाता संख्या 90/210 (68) किला नंबर 19, 20, 21, 22, 23, पत्थर नंबर 90/211 (81) किला नंबर 1 ता 4, 6 ता

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

25 कुल 7.084 हैक्टेयर भूमि में चला आ रहा है किन्तु मौका पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं है जिस कारण वादी के हक, हकूक एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसलिए वादी प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 10, 11, 12 का नाम उक्त कृषि भूमि से कलमजन करवाने का अधिकारी है। वादी का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता होने से सींव, बट व पानी पर्ची का झगड़ा रहता है इस कारण वादी द्वारा कई बार प्रतिवादीगणको खाता मुताबिक घरेलू बंटवारा अनुसार अलग करने का निवेदन किया लेकिन उसने इन्कर कर दिया आदि आदि तथ्यों पर वादपत्र प्रस्तुत किया।

2. प्रतिवादी संख्या 9 ने अपना जबाव दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया तथा काउंटर क्लेम में घोषणा इस आशय की चाही कि प्रार्थीया/प्रतिवादिया चक 25 एम.एम.के. पत्थर नंबर 90/210 (68) किला नंबर 21, 22, पत्थर नंबर 90/211 (81) किला नंबर 6/0.170 है, किला नंबर 7 ता 10/1.012 है0, 12/0.140, 13/0.104 है0 कुल 0.906 है0 यानि 7 बीघा 9 बिस्वा की खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार खाता अलग कर रकमराज अलग कायम की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने अपना जबाव दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर बंटवारा में चक 25 एम.एम.के. पत्थर नंबर 90/210 (68) किला नंबर 19, 23, पत्थर नंबर 90/211 (81) किला नंबर 11, 14 ता 25 कुल 3.795 है0 में प्रतिवादी संख्यख 5 को 1.096 है0 व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.096 है0 कब्जा काश्त में बताकर इसी अनुसार खाता अलग कायम करने का निवेदन किया तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6 व 9 ने अपना जबाव दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया व प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई व शेष प्रतिवादीगण के वारिसान के सम्मन स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस उभय पक्ष सुनी जाकर दिनांक 20.07.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादपत्र व रेस्पोडेंट संख्या 4, 5, 6 व 9 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर डिक्री फरमाया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेंट की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं आया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट पर दिनांक 23.3.2018 को न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा जारी किये गये सम्मन की तामील विधिवत रूप से नहीं हुई है एवं ना ही अपीलाण्ट संख्या 2 के सम्मन पर अंगूठा हस्ताक्षर है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एक तरफा पारित की गई है। अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित आधारों पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुए यह आधार अंकित किये कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित हुये है। अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील विधिवत् रूप से नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को सुना नहीं गया है व ना ही अपीलाण्ट अपना पक्ष रख सके है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एक तरफा है जिसे अपास्त किया जाना न्यायोचित है ताकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा के साथ वकालतनामा में नाम श्री हरपाल सिंह अधिवक्ता का नाम दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का वकालतनामा में नाम श्री हरपाल सिंह अधिवक्ता का नाम दर्ज है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 व 6 की ओर से काउंटर क्लेम श्री हरपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण के दोनो पक्षों के वकालतनामा में एक ही अधिवक्ता के नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण ने दुरभिसंधि कर यह अपीलाधीन निर्णय व डिग्री हासिल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 18 द्वारा अपना जबाव दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि कानूनी भूल की है व घोषणा व विभाजन के दावे में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जबाव स्टेट प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने घोषणा व विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत करते समय उक्त दावे में नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि घोषणा व विभाजन के दावे में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अपीलाण्ट पर दिनांक 23.3.2018 को न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा जारी किये गये सम्मन की तामील विधिवत रूप से नहीं हुई है एवं ना ही अपीलाण्ट संख्या 2 के सम्मन पर अंगूठा हस्ताक्षर अपीलाण्ट संख्या 2 का है एवं अपीलाण्ट संख्या 1 के सम्मन पर अपीलाण्ट संख्या 1 की तामील नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 22.03.2021 को न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ की आदेशिका में अपीलाण्ट की एक तरफा कार्यवाही की गई है जो एक कानूनी भूल की है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है इत्यादि कथन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ यह अपील प्रस्तुत की तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत करने से गत सप्ताह अपीलाण्ट को गांव में व्यक्तियों द्वारा उक्त मामला के संबंध में चर्चा करने पर मालूमात हुआ जिस पर अपीलाण्ट ने न्यायालय में जाकर पता किया तो अपीलाण्ट को अपीलाधीन डिग्री की जानकारी हो पाई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का निवेदन किया है।

5. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आक्षेपित डिक्री के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 9/ रेस्पोडेंट संख्या 8 राजकुमारी को विभाजन में 1.896 है0 भूमि दी गई है जबकि उसका जमाबंदी के अनुसार हिस्सा 1.884 हैक्टेयर बनता है, इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 8 ने अपने हक व हिस्सा से 0.012 हैक्टेयर भूमि डिक्री के अन्तर्गत अधिक प्राप्त की है तथा इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का 0.303 हैक्टेयर का हक व हिस्सा बनता है तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 का 0.025 है0 का हक व हिस्सा बनता है लेकिन आक्षेपित खाता विभाजन की डिक्री के पश्चात पत्थर नंबर 90/211 (81) किला नंबर 12/0.149, 13/0.149, 6/0.020 भूमि शेष रहती है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 8 ने अपने वैद्य हिस्सा से अधिक भूमि आक्षेपित डिक्री के अन्तर्गत प्राप्त की है, इस कारण आक्षेपित डिक्री हस्तक्षेप योग्य है। इन हालात में आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 8 की सीमा तक अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहे है इसलिए प्रकरण के न्याय पूर्ण निर्णय हेतु अपीलाण्ट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 8 राजकुमारी पत्नी रामचन्द्र व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 पेमाराम पुत्र गणपतराम की कृषि भूमि की हद तक अपास्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुणों पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखी जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

13/7/23

(कमला [illegible] पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ